

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

दिनांक:-

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुरेशचन्द जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक.वन विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुरेशचन्द जैन द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री सुरेशचन्द जैन को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सुरेशचन्द जैन को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुरेशचन्द जैन नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुरेशचन्द जैन को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15.02.2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक.वन विभाग.जयपुर।

2 कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

3 श्री सुरेशचन्द जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

दिनांक:-

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री स्नेहलता योगी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण राजकोम्प ईन्फो सर्विसेज लिमिटेड.राजकोम्प ईन्फो सर्विसेज लिमिटेड.जयपुर से निदेशक.सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग(डीआईपीआर).जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री स्नेहलता योगी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री स्नेहलता योगी को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री स्नेहलता योगी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री स्नेहलता योगी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री स्नेहलता योगी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15.02.2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

1 निदेशक.सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग(डीआईपीआर).जयपुर।

2 राजकोम्प ईन्फो सर्विसेज लिमिटेड.राजकोम्प ईन्फो सर्विसेज लिमिटेड.जयपुर।

3 श्री स्नेहलता योगी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय राजकोम्प ईन्फो सर्विसेज लिमिटेड.राजकोम्प ईन्फो सर्विसेज लिमिटेड.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कर्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री हनुमान अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी (सचिवालय).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर से पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हनुमान अग्रवाल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री हनुमान अग्रवाल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री हनुमान अग्रवाल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री हनुमान अग्रवाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री हनुमान अग्रवाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15.02.2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

1 पंजीयक.सहकारिता विभाग.जयपुर।

2 कोषाधिकारी (सचिवालय).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

3 श्री हनुमान अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी (सचिवालय).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुरेश कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण श्रम आयुक्त एवं मण्डल सचिव, भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण मण्डल, श्रम विभाग, जयपुर से निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (डीआईपीआर), जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुरेश कुमार सैनी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री सुरेश कुमार सैनी को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सुरेश कुमार सैनी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुरेश कुमार सैनी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुरेश कुमार सैनी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15.02.2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

1 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (डीआईपीआर), जयपुर।

2 श्रम आयुक्त एवं मण्डल सचिव, भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण मण्डल, श्रम विभाग, जयपुर।

3 श्री सुरेश कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय श्रम आयुक्त एवं मण्डल सचिव, भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण मण्डल, श्रम विभाग, जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

दिनांक:-

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुरेश कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग.जयपुर से कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री सुरेश कुमार गुप्ता को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सुरेश कुमार गुप्ता को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुरेश कुमार गुप्ता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुरेश कुमार गुप्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15.02.2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528
प्रतिलिपि:-

1 कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

2 निदेशक.राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग.जयपुर।

3 श्री सुरेश कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुकुमाल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.कृषि विपणन विभाग.जयपुर से कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुकुमाल कुमार जैन द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री सुकुमाल कुमार जैन को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सुकुमाल कुमार जैन को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुकुमाल कुमार जैन नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुकुमाल कुमार जैन को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15.02.2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

1 कोषाधिकारी (शहर).कोष एवं लेखा विभाग.जयपुर।

2 निदेशक.कृषि विपणन विभाग.जयपुर।

3 श्री सुकुमाल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.कृषि विपणन विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुनील कुमार गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उप महानिरीक्षक कारागार जयपुर.गृह विभाग.जयपुर से मुख्य अभियंता (एसपी).जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुनील कुमार गोयल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री सुनील कुमार गोयल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सुनील कुमार गोयल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुनील कुमार गोयल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुनील कुमार गोयल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15.02.2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

1 मुख्य अभियंता (एसपी).जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग.जयपुर।

2 उप महानिरीक्षक कारागार जयपुर.गृह विभाग.जयपुर।

3 श्री सुनील कुमार गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार जयपुर.गृह विभाग.जयपुर।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त बिबेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैंक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सरदार मल यादव, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण पावर फाईनेन्स निगम.पावर फाईनेन्स निगम.जयपुर से निदेशक.पेंशन एव पेंशनर्स वेलफेयर विभाग.जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सरदार मल यादव द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री सरदार मल यादव को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सरदार मल यादव को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सरदार मल यादव नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सरदार मल यादव को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15.02.2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-2528

प्रतिलिपि:-

- 1 निदेशक.पेंशन एव पेंशनर्स वेलफेयर विभाग.जयपुर।
- 2 पावर फाईनेन्स निगम.पावर फाईनेन्स निगम.जयपुर।
- 3 श्री सरदार मल यादव, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय पावर फाईनेन्स निगम.पावर फाईनेन्स निगम.जयपुर।

(अरविन्द दीवाने)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

दिनांक:-

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री/श्रीमती संगीता राठौड़, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.जयपुर से सचिव. राजस्थान मदरसा बोर्ड. जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री/श्रीमती संगीता राठौड़ द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री/श्रीमती संगीता राठौड़ को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री/श्रीमती संगीता राठौड़ को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री

श्रीमती संगीता राठौड़ नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री/श्रीमती संगीता राठौड़ को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक:- 15.02.2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 2468-2528

प्रतिलिपि:-

1 सचिव. राजस्थान मदरसा बोर्ड. जयपुर।

2 निदेशक.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.जयपुर।

3 श्री/श्रीमती संगीता राठौड़, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.जयपुर।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

दिनांक:-

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री प्रकाश चन्द, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.विराटनगर से बाल विकास परियोजना अधिकारी.समेकित बाल विकास सेवाएं .विराटनगर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्रकाश चन्द द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री प्रकाश चन्द को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री प्रकाश चन्द को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री प्रकाश चन्द

नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री प्रकाश चन्द को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15.02.2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2458-25-28

प्रतिलिपि:-

1 बाल विकास परियोजना अधिकारी.समेकित बाल विकास सेवाएं .विराटनगर।

2 उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.विराटनगर।

3 श्री प्रकाश चन्द, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय उप कोषाधिकारी.कोष एवं लेखा विभाग.विराटनगर ।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कर्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री पुरुषोत्तम लाल गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक .पशुधन विकास बोर्ड(एक्स काडर).जयपुर से विकास अधिकारी. पंचायत समिति.पंचायती राज विभाग.आमेर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री पुरुषोत्तम लाल गुप्ता द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री पुरुषोत्तम लाल गुप्ता को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री पुरुषोत्तम लाल गुप्ता को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री पुरुषोत्तम लाल गुप्ता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री पुरुषोत्तम लाल गुप्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15.02.2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11 / 2458-2528

प्रतिलिपि:-

1 विकास अधिकारी. पंचायत समिति.पंचायती राज विभाग.आमेर।

2 निदेशक .पशुधन विकास बोर्ड(एक्स काडर).जयपुर।

3 श्री पुरुषोत्तम लाल गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय निदेशक .पशुधन विकास बोर्ड(एक्स काडर).जयपुर ।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री नौरंग कुमार चोटिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण आयुक्त.उद्योग विभाग.जयपुर से निदेशक.समेकित बाल विकास सेवाएं .जयपुर में किया गया था किन्तु देशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नौरंग कुमार चोटिया द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री नौरंग कुमार चोटिया को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री नौरंग कुमार चोटिया को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 15.02.2018** मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री नौरंग कुमार चोटिया नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री नौरंग कुमार चोटिया को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 15.02.2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2468-2528

प्रतिलिपि:-

1 निदेशक.समेकित बाल विकास सेवाएं .जयपुर।

2 आयुक्त.उद्योग विभाग.जयपुर।

3 श्री नौरंग कुमार चोटिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय आयुक्त.उद्योग विभाग.जयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)